

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण

केस संख्या :-

/2024

२/१/२५

पहावली पेश हुई वमील जमीन
अप्रापिण को सम्पन्न करे जो वे
ने एन ग्राह ले अधिक का रूप हो
युक्त है सम्पन्न अफ तामील लोकर
गफ नहीं अतः तामील सम्पन्न मानी
जाती है।

सम्पन्न तामील के उपरान्त
अप्रापिण को दाजिर नहीं कतः इनके
विरुद्ध एनपत्तीप आपवाही भी जाती है।

बहुत ५१- पत्र पर
वमील जमीन भी पुनी गरी बहुत
पुने व पहावली का बवलोक
करने के उपरान्त न्यायालय के
समान आदेश वमील जमीन की बहुत
के काधार पर न्यायालय के स्वगत कार्य
दिनांक १/३/२५ को तामिलवादा
करके किया जाता है।

शुक्र दोहर २५ नम्बर ले ३३ ए
पहावली (पुन)

(३)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)